लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या –2475

उत्तर देने की तारीखः 03.12.2019

एआईसी के अंतर्गत एमआईएस पोर्टल

2475. श्री रेबती त्रिपुराः

श्री धनुष एम. कुमारः

श्री सुब्रत पाठकः

श्री विजय कुमार दुबेः

श्री जी. सेल्वमः

क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने दिव्यांगजनों के लिए हाल ही में सुगम्य भारत अभियान के तहत एक प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) पोर्टल आरंभ किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) इस पोर्टल को शुरू करने के लक्ष्य और उद्देश्य तथा इसके लाभों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इसे सुगम्य भारत अभियान (एआईसी) के प्रत्येक लक्ष्य के सन्दर्भ में की जा रही प्रगति की निगरानी के लिए एक मंच के रूप में उपयोग किया जाएगा;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने इस पोर्टल को लोकप्रिय बनाने के लिए जन–जागरूकता उत्पन्न की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों के दिव्यांगजन इस पोर्टल से लाभान्वित हो रहे हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) सरकार द्वारा आंतरिक/बाहरी सुविधाओं में व्याप्त बाधाओं और रुकावटों को खत्म करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

उत्तर

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्यमंत्री

(श्री कृष्णपाल गुर्जर)

(क) और (ख): जी हां। 18.09.2019 को एक प्रबंधन सूचना प्रणाली पोर्टल शुरू किया गया है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों और केन्द्रीय सरकार के मंत्रालयों /विभागों द्वारा प्रबंधन सूचना प्रणाली पोर्टल पर फोटोग्राफ के साथ–साथ स्थितिवार सूचना अपलोड की जाती है। इस पोर्टल का लाभ सुगम्य भारत अभियान के तहत निर्मित वातावरण, परिवहन

प्रणाली और सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के सुगम्यता लक्ष्यों की तुलना में कार्यान्वित कार्य की ऑनलाइन मॉनीटरिंग करना है।

(ग) और (घ): जी नहीं। एक प्रबंधन सूचना प्रणाली पोर्टल के अतिरिक्त, वीडियो–कॉन्फ्रेंस, राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों और केन्द्रीय सरकार के मंत्रालयों / विभागों को ईमेल और पत्रों के अलावा, प्रगति बैठकों, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के केंद्रीय सलाहकार बोर्ड (सीएबी), और सचिवों की समिति (सीओएस) में सुगम्य भारत अभियान के तहत लक्ष्यों की प्रगति की मॉनीटरिंग की जाती है।

(ङ): जी हां। इस पोर्टल के बारे में केंद्रीय सरकार के सभी राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों और केंद्रीय सरकार के मंत्रालयों / विभागों को सूचित किया गया है। जागरूकता पैदा करने, प्रचार और इस प्रबंधन सूचना प्रणाली पोर्टल पर स्थितिवार सुगम्यता विवरण अपलोड करने के लिए राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों, केंद्रीय सरकार के मंत्रालयों / विभागों के नामित नोडल अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किए गए हैं।

(च): सुगम्य भारत अभियान के तहत उपलब्ध कराई गयी सुगम्यता विशेषताएं ग्रामीण एवं दूरस्थ क्षेत्रों के दिव्यांगजनों सहित सभी के लाभ हेतु हैं।

(छ): निर्मित वातावरण, परिवहन प्रणाली और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी में बाधामुक्त वातावरण सृजित करने के उद्देश्य से सरकार ने दिव्यांगजनों (पीडब्ल्यूडी) के स्वतंत्र एवं सुरक्षित जीवन–यापन के लिए दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के तहत अधिसूचित सुगम्यता प्रावधानों को यथार्थ बनाने के लिए सुगम्य भारत अभियान शुरू किया है। सुगम्य भारत अभियान के तहत अभिज्ञात लक्ष्यों के अलावा, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए योजना (सिपडा) के तहत बाधामुक्त इंडोर / आउटडोर सुविधाएं सृजित करने के लिए निधियां भी जारी की जाती हैं।

*****